उद्धरण षटवार्षिक खतौनी

इन्तखाब खतौनी ग्राम खानपुर --------------- परगना गोरधनपुर ...... तहसील लक्सर .... जिला हरिद्वार   सन १४०१ ...... फसली से १४०६ ..... फसली तक

खाता खतौनी का क्रमांक	खातेदार का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती हेक्टयर में	खातेदार द्वारा देय सालाना लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो या निर्विवाद उत्तराधिकारी तथा गांव सभा पट्टे के मामले जो सुपरवाइजर द्वारा स्वीकृत हुये						विशेष विवरण
						सन फसली	सन फसली	सन फसली	सन फसली	सन फसली	सन फसली	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
५५	श्रेणी ५(१) नवीन परती	—	११ × × × × × ४३२ × × × × × ६६४/२	०.४५४६ × × × × × ०.४६१२ × × × × × ०.६३७		1405 फ०/ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय लक्सर के आदेश दि० 17-6-98 को भू०प्र० स० 5 प्रस्ताव दि० 30-12-97 द्वारा ख०न० ४३२ रकबा ०.४४१२ जो नवीन परती (सार्वजनिक आबादी) मे दर्ज है आरदीन की नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर स्थित ग्राम खानपुर प० गोरधनपुर के नाम आबन्टन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। अत: तदानुसार ख०न० ४३२ म रकबा ०.४४१२ को नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर के नाम आबन्टन स्वीकृत किया जाता है। राजस्व अभिलेखो मे तदानुसार दर्ज कानूनगो: कार्य वाही) करे [signature] 23-6-98 सत्यप्रति लिपि (कार्यालय) सरकारी [signature] 22-6-98						
			२६	१६.६५६								

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लक्सर ।

सं0 /98-30180 दिनांक 17.6.98

: आदेश :

भूमि प्रबन्धक समिति, खानपुर द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 30.12.97 द्वारा भूमि खसरा नं0 432एम. क्षेत्रफल 0.4412 हे0 जो नवीन परती (सार्वजनिक आवश्यकता) में आरक्षित है, को नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर स्थित ग्राम खानपुर परगना गोरधनपुर के नाम आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव किया है। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता, हरिद्वार (राजस्व) द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.5.98 एवं 11.6.98 द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को नेशनल कन्या उ0मा0विद्यालय के नाम आवंटित किये जाने हेतु विधिक राय देते हुए अपनी सहमति प्रदान की है तथा इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने आदेश सं0 505 दिनांक 11.6.98 द्वारा उक्त विद्यालय के नाम आवंटन हेतु अग्रेषित किया गया है।

अतः तदनुसार भूमि सं0 432एम. क्षेत्रफल 0.4412 हे0 को नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर के नाम किया गया आवंटन स्वीकृत किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में तदनुसार तहसीलदार, लक्सर दर्ज किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(एस0पी0श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, लक्सर ।

दिनांक 17.6.98

प्रतिलिपि:

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिद्वार को उनके पत्रांक 865/97-98 दिनांक 21.1.98 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार, लक्सर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस0पी0श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, लक्सर ।

नकल खसरा ग्राम खानपुर परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार साल १४२० फ० सन फसल सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	नं. खाता खतौनी	खतौनी के भाग १ के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग २ के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल: खरीफ फसल	खरीफ सिंचित	खरीफ असिंचित	रबी फसल	रबी सिंचित	रबी असिंचित	जायद फसल	जायद सिंचित	जायद असिंचित	फसली क्षेत्रफल दो: सिंचित	फसली क्षेत्रफल दो: असिंचित	आकर्षित भूमि: माप	आकर्षित भूमि: क्षेत्रफल	खेत के पेड़ों की संख्या हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
४३२	०-४६१२	३२६ / ०-४४१२	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	नैशनल कन्या उ०मा० विद्यालय	—	—	—

सत्यप्रतिलिपि
निरीक्षक/... प्रतिलिपि ...
09/02/2012

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 59030400408 ग्राम का नाम : खानपुर परगना : गोर्धनपुर तहसील : लक्सर

जनपद : हरिद्वार फसली वर्ष : 1413-1418 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------2--------------------			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-2	अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जातीं।								
00403	नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर				432मि	0.4410			
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 0.4410			

कार्यालय तहसीलदार, लक्सर ★ हरिद्वार कानूनगो अनुभाग ★

प्रार्थना पत्र संख्या 2338 दिनांक 05 NOV 2005

जारी करने ... 05 NOV 2005

जारीकर्ता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील-लक्सर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी, लक्सर।

वाद संख्या 13/14-15 धारा विविध

नैशनल कन्या उ0मा0विद्यालय खानपुर बनाम सरकार

मौजा ग्राम खानपुर परगना गोरधनपुर
तहसीलं लक्सर जिला हरिद्वार।

निर्णय

प्रस्तुत वाद नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर हरिद्वार के प्रबन्धक द्वारा उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लक्सर को सम्बोधित प्रार्थनापत्र दिनांक 16.03.2015 पर तहसीलदार लक्सर से प्राप्त आख्या दिनांक 26.03.2015 के आधार पर योजित किया गया। तहसीलदार लक्सर से आख्या प्राप्त होने पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व लक्सर ने अपनी आख्या दिनांक 11.06.2015 पर उल्लेख किया है कि वाद नियमानुसार दर्ज कर नोटिस जारी कर निर्णीत किया जाना उचित होगा। तदनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2015 को वाद दर्ज कर नोटिस निर्गत करने के आदेश पारित किये गये।

तहसीलदार लक्सर ने अपनी आख्या दिनांक 26.03.2015 में उल्लेख किया कि विद्यालय की भूमि स्थित ग्राम खानपुर परगना गोरधनपुर में खाता संख्या 403 खसरा नं0 432मि रकबा 0.441 हैक्टेयर पर नैशनल कन्या उ0मा0 विद्यालय खानपुर श्रेणी 6(2) में अंकित है, के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर अंकित कराने का अनुरोध किया गया है। अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराचंल रामनगर (नैनीताल) ने पत्रांक 85 दिनांक 17.05.2002 के द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है, इसलिए तहसीलदार लक्सर द्वारा विद्यालय भवन की भूमि खाता संख्या 403 खसरा नं0 432मि रकबा 0.441 हैक्टेयर स्थित ग्राम खानपुर में नैशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर के स्थान पर नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर दर्ज किये जाने हेतु आख्या इस न्यायालय को प्रेषित की गयी।

मेरे द्वारा उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादी द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि प्रारम्भ से प्रश्नगत भूमि नैशनल कन्या उ0 मा0 विद्यालय खानपुर को आंबटित की गयी तथा नैशनल कन्या उ0मा0विद्यालय श्रेणी 6(2) में अभिलेखों में अंकित है। वर्तमान में विद्यालय का उच्चीकरण होकर इण्टर कालेज हो गया है तथा नाम भी नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर हो गया है, इसलिए अभिलेखों में भी नैशनल कन्या उ0मा0 विद्यालय के स्थान पर नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर दर्ज किया जाना आवश्यक है। नोटिस बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है। वर्तमान तक भी नोटिस के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि नैशनल उ0 मा0 विद्यालय खानपुर के स्थान पर नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर अभिलेखों में दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम प्रधान खानपुर के पत्र दिनांक 06.06.20015 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत खानपुर की गाटा संख्या 432मि रकवा 0.441 हैक्टेयर भूमि नशनल कन्या उ0 मा0 विद्यालय खानपुर को उत्तर प्रदेष सरकार के आदेशानुसार उपलब्ध करायी गयी थी, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन विद्यालय का उच्चीकरण होने के उपरान्त विद्यालय का नाम परिवर्तन कर नाम नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने में भूमि प्रबन्धक समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जन हित में भूमि खाता संख्या 403 खसरा नं0 432मि रकबा 0.441 हैक्टेयर पर नैशनल कन्या उ0मा0 विद्यालय

3

[illegible]

आदेश

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...क्रमांक : 59030400408 ग्राम का नाम : खानपुर

उद्धरण खतौनी

तहसील : लक्सर जनपद : हरिद्वार फसली वर्ष : 1419-1424

परगना : गोवर्धनपुर भाग : 1 USU/21/4/2016

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी:	6-2 – अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जातीहो।								
00403	नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर				432मि	0.4410		1423फ0 न्यायालय सहा0 कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/ उपजिलाधिकारी लक्सर वाद सं0 13/14-15 धारा विविध नैशनल कन्या उ0मा0 विद्यालय खानपुर बनाम सरकार मौजा खानपुर मे पारित आदेश दि0 14.03.16के अर्न्तगत भूमि खाता सं0 403 ख0सं0 432मि/0.441हे0 स्थित ग्राम खानपुर मे अंकित नाम नैशनल कन्या उ0मा0 विद्यालय के स्थान पर नैशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर अंकित होवे।ह0र0का0 दि0 16.04.16	
				योग :	1	0.4410	0.00		

कार्यालय तहसीलदार, लक्सर
रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसीलदार लक्सर

...पत्र संख्या– 1418
दिनांक...... 21/4/16
...के हस्ताक्षर......

...लेखपाल

नकल खसरा ग्राम खेड़पुर परगना भोगपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार साल 14२९ सन् फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नं० खाता खतौनी	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल: खरीफ: फसल	खरीफ: सिंचित	खरीफ: असिंचित	रबी: फसल	रबी: सिंचित	रबी: असिंचित	जायद: फसल	जायद: सिंचित	जायद: असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: असिंचित	आकर्षित भूमि का ब्योरा: मद	आकर्षित भूमि का ब्योरा: क्षेत्रफल	खेत के पेड़ खड़े हुए पेड़ों की संख्या और किस्म	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
४२२	0.४६९	४०३ / 0.४६९	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	नेशनल कन्या इण्टर कालेज	0.४६९	—	—

तथ्य पुष्टि हेतु निम्नानुसार [illegible] मिलान कर पुष्ट किया गया

[signature]
सचिन कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र [illegible]
तहसील [illegible]